न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :— जीसीएमएस नंबर 2024/85
मैन्युअल नंबर 15/2024

रजु दिनांकः :— 16.07.2024

जयराम पुत्र रामदयाल जाति मीना उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा राज0

(अपीलांट)

बनाम

1. भरतलाल } पि0 ग्यारसीलाल
2. लालाराम }
3. पूनी देवी पत्नी ग्यारसीलाल
4. कैलाश } पि0 रामदयाल
5. रामबिलास }

} समस्त जाति मीना निवासी ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा राज0

6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार निर्झरना जिला दौसा (राज0)

(रेस्पोडेन्टस)

उपस्थितः— 01. अपीलांट की ओर से : श्री संजीव जोशी एडवोकेट
02. रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 5 की ओर से : श्री पं0 रामबाबू शर्मा एडवोकेट

दिनांकः 17/12/2025

निर्णय

अपील विरूद्ध विभाजन आदेश दिनांक 27.03.2024 तहसील निर्झरना बाबत खसरा नं0 144, 285, 299, 300, 486/146 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से एक अपील विरूद्ध विभाजन आदेश दिनांक 27.03.2024 तहसील निर्झरना बाबत खसरा नं0 144, 285, 299, 300, 486/146 वाकै ग्राम शिवसिंपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 5 की सहखातेदारी की भूमि आराजी खसरा नं0 144 रकबा 2.1497 हैक्टेयर, खसरा नं0 285 रकबा 4.6028 है0, खसरा नं0 486/146 रकबा 0.0632 है0 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी के सहमति से विभाजन के

अति. जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

लिए खातेदारान अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्टस सं0 1 लगा0 5 ने सहमति से विभाजन के लिए हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तथा स्पष्ट सहमति दी थी की सभी खातेदारान को अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी जमीन मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्सानुसार करने का विभाजन किया जावे। जिसके तहत विभाजित की जाने वाली भूमि का वह हिस्सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग 11ए पर जाने वाली व्यावसायिक तथा बेशकिमती भूमि भी शामिल थी जिस पर हल्का पटवारी द्वारा आश्वासन दिया कि सभी खातेदारान की भूमि का विभाजन मुख्य सडक पर पडने वाली भूमि पर सभी को बराबर–बराबर का हिस्सा दिया जावेगा जैसा कि खातेदारान के बीच हुई लिखित सहमति पत्र दिनांक 06.01.2024 में दर्ज है। उक्त घटना क्रम जनवरी 2024 का है जब अपीलान्ट सहित सभी खातेदारान से खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाकर हल्का पटवारी ने रख लिये तथा बाद में रेस्पो0 सं0 1 लगा0 3 से साज कर दिनांक 27.03.2024 को अपीलान्ट के खाली हस्ताक्षर शुदा कागजात का दुरूपयोग करते हुए विभाजन आदेश अधीनस्थ न्यायालय निर्झरना द्वारा पारित कर दिया गया।

अपीलान्ट ने आगे अभिवचन किए है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक सहमति पत्र खातेदारान दिनांक 06.01.2024 विभाजन आदेश जारी नही किया है तथा सहमति पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं वास्तविक मौका जांच किये बिना तथा कब्जे के विपरीत जाकर प्रश्नगत विभाजन आदेश जारी होना बताते हुए अपीलांट ने प्रश्नगत विभाजन आदेश दिनांक 27.03.2024 को न्याय, प्रक्रिया तथा विधि के सुस्थापित प्रावधानो के प्रतिकूल बताते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर तहसीलदार निर्झरना का प्रश्नगत विभाजन आदेश दिनांक 27.03.2024 बाबत खसरा नं0 144, 285, 299, 300, 486/146 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा को खारिज फरमाने का निवेदन किया।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी की गई व तहसीलदार निर्झरना से प्रश्नगत विभाजन आदेश दिनांक 27.03.2024 से संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निर्झरना ने सहमति पत्र खातेदारान दिनांक 06.01.2024 की शर्तो का उल्लंघन कर प्रश्नगत विभाजन आदेश दिनांक 27.03.2024 जारी किया है। सहमति पत्र अनुसार खसरा नं0 144 में से प्रत्येक खातेदार को प्रत्येक खातेदार को सडक पर भूमि दी गई लेकिन सभी को बराबर नही दी जाकर कम ज्यादा दी गई तथा रास्ता, पुख्ता मकान व कुआ शामलाती रखे जाने थे लेकिन ये सब एक ही खातेदार रामबिलास को दे दिये गये। खसरा नं0 300 में से रास्ता 20 फिट प्रस्तावित था लेकिन रास्ता 20 फिट से कम कर दिया गया। खसरा नं0 285/7 के लिए कोई रास्ता नहीं दिया गया एवं ख0नं0 285/8 एक ही खातेदार रामबिलास के नाम कर दिये गये। अधिवक्ता अपीलांटस ने इस प्रकार कथन करते हुए प्रश्नगत विभाजन आदेश दिनांक 27.03.2024 को सहमति पत्र के अनुसार नहीं होने के कारण अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर तहसीलदार निर्झरना का प्रश्नगत विभाजन आदेश दिनांक 27.03.2024 बाबत खसरा नं0 144, 285, 299, 300,

अति. जिला कलक्टर

486/146 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील निर्झरना जिला दौसा को खारिज फरमाकर तहसीलदार निर्झरना को पुनः सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विभाजन कार्यवाही करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 5 ने अपनी जवाब बहस में अधिवक्ता अपीलांट की दलीलो का विरोध करते हुए कथन किये कि तहसीलदार निर्झरना द्वारा विभाजन आदेश दिनांक 27.03.2024 चारो खातेदारो की आपसी सहमति के आधार पर ही जारी किया गया है। विभाजन हेतु सभी खातेदार तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुए है तथा तहसीलदार के समक्ष सहमति के हस्ताक्षर भी खातेदारो द्वारा किए गए है। कुर्रेजात पर भी सभी खातेदारो के हस्ताक्षर अंकित है। विभाजन में कुल 50 बीघा भूमि में से सभी खातेदारों को बराबर 12–12 बीघा भूमि विभाजित कर शेष 2 बीघा भूमि शामलाती रखी गई है। विभाजन आदेश दिनांक 27.03.2024 सभी खातेदारों की सहमति से ही जारी किया गया है अतः अपीलांटस की अपील निराधार होने से खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रश्नगत विभाजन आदेश दिनांक 27.03.2024 से संबंधित मूल अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विभाजन आदेश दिनांक 27.03.2024 से संबंधित मूल अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खाता विभाजन हेतु सभी सह खातेदारो ने तहसीलदार निर्झरना के समक्ष उपस्थित होकर खाता विभाजन बाबत सहमति जाहिर की है। इस बाबत सभी सह खातेदारो के आवेदन पत्र तथा कुर्रेजात आदि संबंधित दस्तावेजात पर हस्ताक्षर भी अंकित है। अतः इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ तहसीलदार निर्झरना द्वारा खातेदारो की सहमति के आधार पर ही विभाजन आदेश दिनांक 27.03.2024 जारी किया गया है। न्यायालय की राय में तहसीलदार निर्झरना द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से हम अपीलांटस की अपील निराधार होने से खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः अपीलांट की अपील विरूद्ध विभाजन आदेश दिनांक 27.03.2024 बाबत आराजी खसरा नं0 144, 285, 299, 300, 486/146 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील निर्झरना अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17/12/2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना आरएएस)
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)
लालसोट,दौसा